श्री सभापति: कितने हताहत हुए हैं, कितने मरे हैं, इसकी कोई जानकारी है?

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, अभी तक जो जानकारी मिली है, ऑफिशियल जो जानकारी मिली है, यद्यपि जो प्रभावित हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अभी तक ऑफिशियल जानकारी है, इसमें जो डीरेलमेंट हुआ है, उसकी वजह से सात कोच प्रभावित हुए हैं। जो कैजुअलिटी की ऑफिशियल जानकारी हमको मिली है, उसके हिसाब से 11 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रानिक संख्या बताई जा रही है, वह ज्यादा है। मुझे तो जो अधिकृत संख्या बताई जाएगी, उसी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जो घायल हुए हैं, उनकी मुझे जो अधिकृत, ऑफिशियल जानकारी मिली है, उनकी संख्या 54 है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए आ रही है, वह संख्या ज्यादा बताई जा रही है।

श्री सभापति: ठीक है।

Laying the Report of the Nanavati Commission on the Table of the House

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Mr. Chairman, Sir, there was a Commission of Inquiry appointed when the NDA Government was in power, to inquire into the Sikh riots which took place in 1984, under the Chairmanship of Justice Nanavati. Sir, Justice Nanavati Commission has submitted its Report in February 2005, and we have been demanding from the Government that the Report of the Nanavati Commission be placed on the Table of the House, and that we should be provided with an opportunity of discussing this issue. Sir, yesterday, Justice Nanavati has gone on record to say a few very damaging things, and, I think, it is unnecessary controversy which is being generated. If the Government, in its wisdom, decided to place the Report, without any further loss of time, on the table of this House, then, we will know what the truth is, all speculations will come to an end, and the Government also will be enabled to take action against whoever is guilty, and reopen cass against whom the cases have not been properly pursued. So, I would like to make a demand on the Government that this Report be placed without any further loss of time, and that there should be a statement in this House now from the hon. Minister of Parliamentary Affairs that they will place the Report and he should indicate the time-frame within which this Report, with Action Taken Report, will be placed.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय सभापति महोदय, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के सेक्शन 4 में यह प्रोविजन है कि जब भी किसी कमीशन का गठन इस

एक्ट के तहत होता है और उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वह एटीआर सहित 6 महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह एटीआर सहित 6 महीने में प्रस्तुत करने का कहा गया है, अब एटीआर की क्या स्थिति है, यह तो माननीय गृह मंत्री जी ही बता पाएंगे। रही बात, जस्टिस नानावती कमीशन की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की, जैसा मैंने कल एक दूसरी रिपोर्ट - फूकन कमीशन - के संदर्भ में कहा था कि सरकार इस बात से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती है कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, उसी प्रकार से संकेत में मैं, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री नहीं हूं, यही निवेदन आपके जरिए करना चाहता हूं कि हमें कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो विधिवत प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम इससे गुजरेंगे। इस संबंध में मैं सारी जानकारी गृह मंत्री जी को दे दूंगा।

श्री सभापति: आप गृह मंत्री जी से बात कर लीजिए।

श्री सुरेश पचौरी: रही बात, जस्टिस नानावती ने इस संबंध में क्या कहा है, यह मामला उनके संदर्भ में है, उसमें मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूं।

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, the Government, outside the House, has already gone on record to say that they will place the report on the Table of the House before this Session comes to an end. Now, this House is supreme, Sir, and I will expect a more definite reply from the Hon. the Minister instead of his saying six months; six months will take us to the Monsoon Session. Is it the intention of the Government that this report will not be presented in this Session and that we will have to wait until the Monsoon Session, and then we will take up what Justice Nanavati has said for a discussion in this House? ...(*Interruptions*)...

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): सभापति जी, मैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप बैठिए। भंडारी जी, आप बोलिए।

Inquiry into Commission in Defence Deals

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय सभापति जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं जिस विषय के संबंध में सदन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उस विषय का संबंध देश की सुरक्षा से है पहले भी देश की सुरक्षा से संबंधित कई मामले सदन के समक्ष आए हैं, चाहे वह सी॰ए॰जी॰ की रिपोर्ट हो, तहलका मामला हो। एक और मामला, जो देश के सामने आया है, वह रक्षा सौदों में दलाली खाने का है। ...(व्यवधान)... महोदय, पिछली सरकार द्वारा रक्षा सौदों में दलाली खाने का जो मामला उजागर हुआ है, उसकी गूंज अभी भी सदन में और सदन के बाहर सुनाई पड़ रही है। मैं जिस मामले की चर्चा करने जा रहा हूं, उस